(नियम 26)

आज अदालत _____ मुकाम : राशमी

_____ बनाम _____

किस्म मुकदमा _____ नं. 12 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व त अहकाम उ हुक्म की में जारी
	श्रीमान् पीओं साहब द्वारा पत्रावली को प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 में सुनवाई हेतु ग्राम पंचायत मुख्यालय ...अडाना... पर रखे जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। निर्देशों की पालना में पत्रावली के समस्त पक्षकारन को जरिये सूचना पत्र सूचित किया जावें। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही ग्राम पंचायत ...अडाना... में दिनांक ...18/10/21... को पेश हों।	
18/10/21	पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 शिविर अडाना में पेश हुई। बाकी रकम मूल ऋण के हासिल हुए जिसमें रु. 8000 के की हासिल आम मूल ऋण में बाकी के पास में दर्ज मूल ऋण की जा चुकी है जिसे धारा 34 की कार्यवाही दिनांक के रु. 8000 में आगे कार्यवाही शेष नहीं रहने से बाकी रु. 80 ए अन्तर्गत धारा 34 R.C.A 1955 में समाप्त किया जाता है। रु. 8000 मूल ऋण वाद सं. 23/2019 के स्थान हासिल रहा। निर्णय खुले मंच पर प्रशासन गांव के संग अभियान-2021 शिविर अडाना के दौरान ग्राम पंचायत पत्रावली की जाकर वाद आवश्यक लिखित इन्द्राज की जाकर वाद अग्रिम कार्यवाही अमिल लाया जावे।	

(नीता वसीटा)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2021.10.20 12:58:38 IST
Reason: SelfAttested